अतिमहत्वपूर्ण

संख्याः 18/2017/1903/37-3-2017-7(36)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक ग्रेड-2,
पशुपालन निदेशालय/समस्त
अपर निदेशक ग्रेड-2 एवं समस्त
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग
उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2017**

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण/मा0 जिला सत्र न्यायालय/मा0 श्रम न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं/योजित लम्बित वादों में प्रभावी पैरवी करने हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुधन विभाग/पशुपालन निदेशालय के अधीन चतुर्थ श्रेणी/तृतीय श्रेणी के पदों पर कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्याओं के निदान हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण/मा0 जिला सत्र न्यायालय/श्रम न्यायालय में रिट याचिकायें/वाद योजित किये गये हैं। जबकि इन पदों पर तैनात चतुर्थ श्रेणी/तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रकरण का निस्तारण निदेशालय/मण्डल स्तर पर तैनात नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है, किन्तु नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा समय से प्रकरण का निस्तारण नही किये जाने के कारण मा0 न्यायालयों में वाद लम्बित चल रहे हैं तथा किसी-किसी वाद में शासन के अधिकारियों को व्यक्तिगत पक्षकार बनाया जाता है और शासन के अधिकारियों को मा0 न्यायालय में उपस्थित होना पड़ रहा है।

2- पशुधन निदेशालय/मण्डल/जिला स्तर पर तैनात अधिकारियों द्वारा समय से लम्बित वादों की पैरवी नही की जाती है और न ही प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरुप प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन के नाम से अवमानना की नोटिस मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत की जाती हैं। अभी दिनांक 12-12-2017 को एक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सुनवाई करते हुए काफी नाराजगी व्यक्त की गयी है, जबकि यह प्रकरण अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जनपद-गोरखपुर से संबंधित था। इस प्रकरण की जानकारी शासन को पूर्व में न तो निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दी गयी और न ही गोरखपुर मण्डल/जनपद में तैनात अधिकारियों द्वारा दी गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मुकदमों की पैरवी करने हेतु राज्य मुकदमा नीति बनायी गयी है, जिसमें लम्बित मुकदमों के निस्तारण के संबंध में कई दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी नीति में सभी अधिकारियों की जबावदेही/ उत्तरदायित्व का निर्धारण भी किया गया है, तथा मुकदमों की प्रभावी पैरवी करने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने को भी निर्देश दिये गये हैं।

4- मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण/मा0 जिला सत्र न्यायालय एवं मा0 श्रम न्यायालय में पशुपालन विभाग से संबंधित लम्बित वादों/मुकदमों के निस्तारण/प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु आपको नाम से नोडल अधिकारी नामित करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

5- अतः मुकदमों के निस्तारण के संबंध में निदेशालय पर तैनात अपर निदेशक ग्रेड-2 के अधिकारी यदि उस स्तर के अधिकारी तैनात न हों तो संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी एवं मण्डल स्तर पर तैनात अपर निदेशक ग्रेड-2 तथा जिले स्तर पर तैनात मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को नाम से नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

6- नामित नोडल अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि दायर होने वाले/लम्बित वादों में समयान्तर्गत यथावश्यक कार्यवाही करते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाय। यदि आपके द्वारा समय से प्रभावी पैरवी नहीं की जाती है एवं शासन को मा0 न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति उत्पन्न होती है, तब आपके विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत यथावश्यक निलम्बन/अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्याः 18 /2017/ 1903 (1)/37-3-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह माह में कम से कम 02 बार प्रदेश के समस्त नोडल अधिकारियों के साथ कोर्टकेसों में हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में बैठक कर अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2- निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com